उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय
UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)

रेलवे रोड़, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; **Fax :** +91-135-2685124; **Email :** uttarakhandayurved@gmail.com; **Website :** www.uau.ac.in;

संख्या : 2294 / उ0आ0वि0 / 2022 दिनांक : 01.12.2025

विज्ञप्ति

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्नातकोत्तर हेतु ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0– 2025 की मेरिट के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए एम0डी0 / एम0एस0 (आयु0) पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसरों में राजकीय कोटे एवं निजी क्षेत्र में स्थापित कॉलेजों की सीटों पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से केन्द्रीयत काउंसिलिंग (**Centarlized Counselling**) कर विभिन्न काउंसिलिंग चरणों के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। जिस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त सीटों को मॉप–अप चरण काउंसिलिंग से भरे जाने हेतु निम्नतिथियों का निर्धारण किया जाता है:–

मॉप–अप चरण काउंसिलिंग की यू0ए0यू0सी0 पी0जी0– 2025–26 कांउसिलिंग हेतु समय सारणी:–

Online Registration & Fresh Registration and Fee Submission	**03.12.2025 to 07.12.2025**
Display of Merit	**08.12.2025**
Physical Reporting in Uttarakhand Ayurved University and allotment of seats by Counseling Board.	**09.12.2025**
Last date of joining the allotted college	**10.12.2025 to 13.12.2025**

1– आयुष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0डी0 / एम0एस0(आयु0)) की मॉप–अप चरण काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु नियम / शर्तें:–

- ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी– 2025 में अर्ह अभ्यर्थी जो प्रथम बार पंजीकरण कर रहें हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नही हुई हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की गयी हो और मॉप–अप चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो। तो वे नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते है।
- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित काउंसिलिंग (AACCC) में जिन अभ्यर्थी को अनअर्ह (ineligible) घोषित किया गया वह इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मॉप–अप चरण में सम्मिलित नही हो सकते है।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम एवं द्वितीय काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है किन्तु मॉप–अप चरण हेतु प्रतिभाग करना चाहते हुए ऐसे अभ्यर्थी को अपने पूर्व में प्रवेशित सीट को त्याग करना होगा इस हेतु वह सम्बंधित परिसर/संस्थान के प्राचार्य को निर्धारित शुल्क देकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को विश्वविद्यालय को पंजीकरण की तिथि 03.12.2025 प्रातः 11 बजे तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को पूर्व में प्रवेशित सीट पर कोई दावा मान्य नही होगा। यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में ऐसे कोई अभ्यर्थी आता है तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।

2– मॉप–अप चरण काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी शुल्कः–

- उपरोक्तानुसार पात्र प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को मॉप–अप चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग/सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी को **ऑन–लाईन पंजीकरण कर रू0 2000/–(दो हजार रू0 मात्र)** **नान रिफनडेवल पजीकरण शुल्क** के रुप में केवल ऑनलाईन माध्यम से ही जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे स्ट्रे चरण काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह **नही** माने जायेगें।
- जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा सीट आवंटित की जायेगी उन अभ्यर्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय को सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 25000/–(पच्चीस हजार रू0 मात्र) ऑन–लाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके उपरांत ही सम्बंधित अभ्यर्थी को आवंटित पत्र (Allotment letter) प्रदान किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 25000/–(पच्चीस हजार रू0 मात्र) की व्यवस्था करें। नगद राशी स्वीकार नही किया जायेगा। ऑन–लाईन के माध्यम से ही रू0 25000/–(पच्चीस हजार रू0 मात्र) लिया जायेगा। यदि सम्बंधित अभ्यर्थी आवंटित पत्र (Allotment letter) डाउनलोड करने के उपरांत निर्धारित समय के अंतर्गत प्रवेश नही लेता है तो सिक्योरिटी शुल्क जब्त कर लिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी यू0ए0यू0सी–पी0जी0–2025 की विवरण पुस्तिका (information brochure) का भली भांति अध्ययन कर लें।

3– मॉप–अप चरण की काउंसिलिंग हेतु सामान्य दिशा–निर्देशः–

- अभ्यर्थियों को मॉप–अप चरण की काउंसिलिंग हेतु ऑन–लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को सीट आवंटन किया जायेगा।
- सीट आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मैन्यूल होगी जिसमें अभ्यर्थियों को कांउसिलिंग बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को देहरादून स्थित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन मे निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना होगा। केवल उपस्थित अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किया जायेगा।
- **मॉप–अप चरण की सीटों का आवंटन दिनांक 09.12.2025 को काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा, अभ्यर्थी अपने आने/जाने/रहने एवं खाने का प्रबंध स्वयम करें। 09.12.2025 को प्रातः 09:00 बजे से 11:00 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय (11:00 बजे) के उपरांत उपस्थित होने पर प्रवेश प्रकिया/आवंटन में सम्मिलित नही किया जाऐगा एवं प्रवेश/सीट आवंटन हेतु कोई दावा मान्य नही होगा।**
- अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वः प्रमाणित एक प्रतियां साथ में लाऐंः–
- Mop up Round online Application Form Print
- Coloured passport size photographs (Five)
- High School (10th) Certificate for Age proof.
- Intermediate (10+2) Certificate.
- Intermediate (10+2) Mark sheet.
- Mark Sheets of all Professional/Year examinations of BAMS
- Compulsory Rotatory Internship Completion Certificate
- BAMS Degree – Provisional/Permanent

- Registration Certificate of any State Board/Central Council of Indian Medicine (CCIM), New Delhi
- AIA-PGET 2025 Admit Card (issued by AIA-PGET)
- AIA-PGET 2025 Result/Rank letter (issued by AIA-PGET)
- Certificate of Reserve category, if applicable (SC,ST,OBC,EWS)
- Certificate of Sub Category, if applicable. (for Domicile/Permanent resident of Uttarakhand only)
- Ex servicemen /Dependent of Ex servicemen (DPW)/ Dependent of FF/PwD(PH) category certificate issued by competent authority of Uttarakhand state only, if applicable.
- Certificates required for Ward of Kashmiri Migrants, if applicable.
- Domicile Certificate (For Uttarakhand domicile candidate only)
- Valid ID proof (preferably Aadhar Card/Passport/ Driving License etc)
- Character Certificate (by last institute attended).
- Migration Certificate
- Leaving certificate or Transfer certificate

काउंसिलिंग स्थलः— उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड, हर्रावाला, देहरादून।

4— अन्य सामान्य नियम / शर्ते

- विस्तृत जानकारी हेतु UAUCPG- 2025 information brochure का अध्ययन भली—भांति कर लें।
- काउॅन्सिलिंग की प्रक्रिया, समय—सारणी, अद्यतन सीट मेट्रिक्स,एवं काउॅन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट uau.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड़ की जा रही है एवं भविष्य में भी काउन्सिलिंग संबंधी प्रत्येक अद्यतन जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रुप से विश्वविद्यालय वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

नोडल अधिकारी, काउंसिलिंग